

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

दिनांक: 29.10.1993

पंजीयन क्रमांक : 44/92 -93

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री रूपमुनि सार्वजनिक गौशाला निर्माण समिति नाडोल राजस्थान तहसील पाली संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 16 माह अगस्त सत्र 1995 को पाली में दिया गया।

अब इस संस्था का नाम परिवर्तन कर श्री रूप मुनि सार्वजनिक गौशाला निर्माण समिति नादाणा जोधाण तहसील रानी जिला पाली कर दिया गया है। इस संस्था का कार्यक्षेत्र तहसील रानी सम्पूर्ण पाली, राजस्थान रहेगा। यह परिवर्तन "राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958, अधिनियम संख्या 28 के अन्तर्गत आज दिनांक 3/2/96 को किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय सील से आज दिनांक 3/2/96 को पाली में जारी किया गया।



राजस्थान सोसायटी अधिनियम-1958 की धारा 19 के अन्तर्गत

यह पत्रादि संस्था के संबंध में प्रस्तुत किये गये जो कार्यालय की पत्रावली में पत्रावली कर दिये हैं।

रजिस्ट्रार संस्थाए

पाली मारवाड़ (राज.)